समाचार-प्रकाषनार्थ:-

फल-सब्जी विक्रय हेतु त्रिवेणी मेला परिसर के स्थान पर त्रिवेणी रोड तय
5 मई से तय 4 स्थानों पर ही होगा फल-सब्जी का विक्रय
सब्जी-फल विक्रेता निर्धारित स्थल पर व्यवसाय हेतु अपना पंजीयन करवायें

रतलाम 2 मई । यातायात प्रबंधन तंत्र को व्यवस्थित किये जाने हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार रतलाम नगर में 5 मई से जमीन एवं ठेलागाड़ी पर सड़क एवं फुटपाथ आदि पर फल-सब्जी विक्रय करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाकर नगर में फल-सब्जी विक्रय हेतु 4 स्थान तय किये गये है जिसके तहत त्रिवेणी मेला परिसर के स्थान पर त्रिवेणी रोड कल्याण नगर के सामने फल-सब्जी का विक्रय किया जा सकेगा।

सनातन धर्मसभा व महारूद्र यज्ञ समिति द्वारा फल-सब्जी विक्रय हेतु त्रिवेणी मेला परिसर के स्थान पर अन्य स्थल तय किये जाने की मांग की जा रही थी। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने आज अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल मौर्य के साथ त्रिवेणी क्षेत्र का निरीक्षण किया व त्रिवेणी रोड कल्याण नगर के सामने फल-सब्जी विक्रय हेतु स्थल तय किया गया। स्थल चयन के बाद नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा उपायुक्त श्री विकास सोलंकी के निर्देषन में फल-सब्जी विक्रेताओं हेतु 4 बाय 4 के ब्लाक हेतु चुने की लाईन डाली।

फल-सब्जी का विक्रय सैलाना ब्रीज के नीचे, साक्षी पेट्रोल पम्प के सामने, विनोबा नगर ग्रीड के पास व त्रिवेणी रोड कल्याण नगर के सामने चिन्हित किये गये है जहां फल-सब्जी विक्रेता फल व सब्जी का विक्रय कर सकेगें।

जमीन एवं ठेलागाड़ी पर सड़क एवं फुटपाथ आदि पर सब्जी एवं फल का व्यवसाय करने वाले सभी दूकानदार उक्त स्थानों पर अपना स्थान निर्धारित कराने हेतु अपना फोटो एवं वैध परिचय पत्र सहित त्रिवेणी रोड कल्याण नगर में दिनांक 4/5/22 को सुबह 8 बजे पंजीयन करवायें।

दिनांक 5/5/22 से सड़क एवं फुटपाथ पर सब्जी एवं फल का व्यवसाय पूरी तरह अवैधानिक होगा।तथा निर्देश का उल्लंघन करने पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

कचरा संग्रहण हेतु कचरा संग्रहण वाहनों ने लगाई 251 ट्रीप
114 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 3 मई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 3 मई मंगलवार को 251 ट्रीप लगाकर 114 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

3 मई मंगलवार को मैजिक सूखा कचरा 27940 किलो, मैजिक गीला कचरा 51055 किलो, डम्पर से 25970 किलो, टेªक्टर से 9350 किलो, सेनेटरी वेस्ट 4 व घरेलू हानिकारक कचरा 6 किलो इस तरह कुल 114335 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

75 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित
स्वच्छता संबंधी षिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर 14420 पर कॉल करें
कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 कचरा पात्रों का उपयोग करें

रतलाम 3 मई । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 75 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

सफाई से संबंधित शिकायतों के लिए नगर-निगम रतलाम के टोल फ्री नंबर 14420 पर शिकायत दर्ज करायें। अपने मोबाइल में स्वच्छ एप डाउनलोड कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।निर्माण एवं विध्वंस सामग्री उठवाने के लिए भी टोल फ्री नंबर पर सूचना देवें। शिकायतों का निराकरण 24 घंटे में किया जाएगा।
नागरिक व व्यापारी घरों, दुकानों व व्यावसायिक प्रतिश्ठानों में 4 प्रकार के डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखें। इनमें सूखा कचरा,गीला कचरा,सेनेटरी वेस्ट एवं हानिकारक अपशिष्ट अलग अलग डस्टबिन में ही रखें। एवं अलग अलग 4 प्रकार का कचरा सफाई गाड़ी में ही अलग अलग डालें ।
खुले स्थान में कचरा फेंककर सड़क, नाला,नाली एवं वाटर बाडी गंदा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाकर दंडित किया जायेगा।

10 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा
दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन
बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त
रतलाम 3 मई । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 3 मई को प्रातः 10 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।
3 मई्र मंगलवार को झोन क्रमांक 1 में विजय-सुरेष, अजय-विनोद, सतीष-गोवर्धन, बादल-दिलीप, झोन क्रमांक 2 में रवि-सुरेष, षकुन्तलाबाई-रामचन्द्र, लोकेष-रामप्रसाद, इन्द्राबाई-दिनेष, झोन क्रमांक 3 में गोपाल-दिलीप, झोन क्रमांक 4 में सतीराम-सुरेष द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

नेषनल लोक अदालत 14 मई को होगी आयोजित

निगम के करो की बकाया राषि जमा कर पेनल्टी में छूट का लाभ लें

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राषि

रतलाम 3 मई । राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य षासन के निर्देषानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु आज ़14 मई 2022 षनिवार को नेषनल लोक अदालत के तहत बकाया राषि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में षिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेषनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10,000/- से अधिक तथा रूपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदज) ही दी जायेगी। यह छूट वर्श 2021-22 तक की बकाया राषि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 14/05/2022 की नेषनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।
नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 14 मई 2022 षनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित षिविर में उपस्थित होकर बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

कचरा, गंदंगी व अतिक्रमण करने पर 12 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 3 मई । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 3 मई को 12 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार कचरा एवं गंदगी करने पर कमल घोसी पर 4000, श्रेणिक कुमार पर 2000, बद्रीलाल, गिरधारी, षुभम् वहाब, बहादुर पर 500-500, सुरेष पर 300, राजू, दलीबाई, मनोहर पर 250-250 व गोपाल पर 200 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी, अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईष दी।
स्पॉट फाईन की कार्यवाही उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा के निर्देषन में स्पॉट फाईन दल द्वारा की गई।

रात्रिकालिन सफाई के 7 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 3 मई । षहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 02 मई सोमवार को निरीक्षण किये जाने पर रात्रिकालीन सफाई के 7 कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थित

पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।
2 मई सोमवार को रात्रिकालीन सफाई के कर्मचारी दीपक-रतनलाल, राजा-कैलाष, राहूल-राजकपूर, षेखर-सोहनलाल, सुधीर-गोपाल, अमन-सुदेष, आनन्द-बाबुलाल बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये गये।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन (कम्पाउडिंग)
30 जून तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट
रतलाम 3 मई । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्‌वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।
रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्‌वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।
कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन (कम्पाउडिंग) 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 3 मई । निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री के नियमानुसार निश्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिश्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें

रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 3 मई । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेªषन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर

निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टेªषन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500/- प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100/- रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 3 मई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100

प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 3 मई। स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम द्दढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/03.05.2022/न.पा.निगम, रतलाम